

समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला शस्त्र शाखा)

1155

आदेश

श्री गुड्डु कुमार, पिता-श्री राजकिशोर प्रसाद, ग्राम+पो0-अरहित दौलतपुर थाना ओकरी, ओ0पी0जिला- जहानाबाद द्वारा सूचित किया गया है कि दादा सुकदेव प्रसाद सिंह की मृत्यु दिनांक-16/03/2015 को हो गई है। दादा के नाम पर निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-138/1973 घोषी थाना को रद्द करते हुए डी0बी0बी0एल बन्दूक सं0-98537 को मेसर्स जहानाबाद गन हाउस, जहानाबाद में जमा करने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्री गुड्डु कुमार द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में श्री सुखदेव प्रसाद सिंह, पिता- स्व0युगल प्रसाद सिंह, ग्राम- अरहित, पो0-दौलतपुर थाना- घोषी (वर्तमान ओकरी ओ0पी0) जिला- जहानाबाद के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0- 143/138/1973-घोसी थाना Applicant ID- 1640001562014 And Unique Case No- 051640003300582014 को शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के तहत रद्द करते हुए उस पर धारित डी0बी0बी0एल बन्दूक सं0- 98537 को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 21(1) अन्तर्गत मेसर्स जहानाबाद गन हाउस, जहानाबाद में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला दंडाधिकारी का आदेश दि0-06/07/2015 संचिका सं0- IX-1/2015)

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,

जहानाबाद।

ज्ञापांक- 2918 /शस्त्र, जहानाबाद दि0-13/07/15

- प्रतिलिपि :- सभी जिला दंडाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, घोषी / प्रभारी ओकरी ओ0पी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संधारित शस्त्र पंजी से मृतक अनुज्ञप्तिधारी का नाम हटाना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- श्री गुड्डु कुमार, पिता-श्री राजकिशोर प्रसाद, ग्राम+पो0-अरहित दौलतपुर थाना ओकरी ओ0पी0जिला- जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। शस्त्र जमा ररसीद की छाया प्रति जिला शस्त्र शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- मेसर्स ~~जहानाबाद गन हाउस~~ जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- ✓ प्रतिलिपि :- सूचना तकनीकी प्रबंधक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- एक प्रति रक्षी संचिका में।

क्र

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,

जहानाबाद।